(पक्षकारों के .... प्रमाणों ....
पत्र डिक्टेट 18.2.20 को पेश हो

18.2.20 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र पर बहस समायत की गई। प्रार्थी का कथन है कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 वर्णित भूमि आ.न. 1374/1072 रकबा 8 बीघा, गांव तेजपुर के एकमात्र कृषक हैं। मूल वाद अलग चल रहा है। मेरा भी कब्जा है अतः दखल न करे इस हेतु प्रार्थना पत्र लगाया है। यह भूमि हमारी निजी आवंटित भूमि है और भूदान बोर्ड द्वारा दी गई है। कब्जा हमारा है अतः इन्हें पाबन्द किया जावे की हमारी शांति पूर्ण कास्त में दखल न देवे। पूर्व में दोनो पक्षकारों को इसी पत्रावली में पाबन्द किया जा चुका है।

अप्रार्थीयों का कथन है कि मूल वाद में हमारा काउण्टर वाद है। भूमि की जमाबन्दी की नकल के अनुसार हम खातेदार काश्तकार हैं, तथा तथा खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। हमारा कब्जा काश्त है। प्रार्थीयों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है कि भूमि उनकी हो, हम रिकॉर्ड खातेदार हैं, अतः TI आवेदन खारिज करें। साथ ही कथन किया की प्रकरणगत भूमि के वादी कभी भी खातेदार नहीं रहे हैं।

प्रार्थी ने कहा की खाता केवल बड़े भाई के नाम खुल गया है। हमारे पिता का नाम भी जुड़ना था, जो नहीं जुड़ा है, मोतीया के पिता हलीया है, जो हमारे पिता है। अतः TI जारी करें।

मैंने उभय पक्ष की बहस सुनी व दस्तावेजों पर अध्ययन किया। प्रतिवादीगण आ.न. 1374/1072 के खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्य प्रमाणित नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से दाखिल की जावे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2022.11.14 10:44:21 IST
Reason: SelfAttested